

Form no. III

①

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

गोगादेवी

बनाम

राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा:- अपील

नं:- 48

सन् 2015

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.6.2015	यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अपील के साथ धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अपील के संलग्न धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार किया जाकर अपील दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया जावे। रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 22.7.2015 को पेश हो।	22.7/29-6/15 2-205/4
22.7.15	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय प्रकाशन उपरो ! P.O. साहय के द्वारा पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.7.15 को पेश हो	
7-8-15	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय प्रकाशन उपरो ! P.O. साहय के द्वारा पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-8-15 को पेश हो	
8-9-15	करीब अपील अंतर्गत, कलक्टर मय-पापराज एवं रिकार्डि फूट दो-चुका है। जावे। नि नि नि नि। रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 30-9-15 को पेश हो	2566/8-9-15
30.9.15	पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज अभिभाषक सभ द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 27.10.15 को प्रस्तुत हो	
27-10-15	करीब अपील अंतर्गत, रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 27-10-15 को पेश हो	



9	आरएलडब्ल्यू 2014 आरजे 297 पेज 298	अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार ना होने पर अपील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।
10	डीएनजे 2023(2) आरईवी 916	नगरपालिका को रकबा गलत दिया गया है पैरा 11 व 13

अतःउपरोक्त विवरण अनुसार प्रार्थनापत्र प्रार्थी निरस्ती योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ को प्रतिवादी संख्या 02 बनाये जाने के आदेश दिए जाते है। अपील मीमों में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ को लाल स्याही से रेस्पोंडेंट संख्या 02 बनाया जाने का अंकन किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.06.2024 को पेश हो।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

10/6/24

बार-संघ ने कार्य स्थगित रखा। ADM साहब भ्रमण/अवकाश पर/अन्य-कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 09-07-2024 को पेश हो।

9/7/24

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वाले खटल दिनांक 5-8-2024 को पेश हो।

5/8/24

पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्वान अजमेर द्वारा फ.नं. LP/निग/2024/4890/गंगानगर/18/0/24 8053 दिनांक 18-7-2024 द्वारा उक्त पत्रावली जारी गई है। अतः उक्त आदेश की पालना में पत्रावली माननीय मण्डल को प्रेषित की जावे। पत्रावली मध्यक से कम होकर दाखिल दफ्तल हो। उभय पक्ष को स्थगित किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला-श्री गंगानगर)